

कार्यालय नगर पालिका नदबई (भारतपुर)

क्रमांक :— न.पा.न./स्टोर/2017-18/257-259

दिनांक :— 13.04.2017

E-NIT No.-06/2017-18

नगर पालिका नदबई द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये निम्न कार्यों हेतु ऑनलाईन टैण्डर प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्टर्ड प्लेसमेन्ट एजेन्सी/रजिस्टर्ड सफाई समितियों से निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदा जारी करने की तिथि :— 13.04.2017 सांय 6.55 बजे
- निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि :— 14.04.2017 प्रातः 10.00 बजे से
- ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की तिथि :— 01.05.2017 सांय 5.00 बजे तक
- कार्यालय में डी.डी. जमा कराने की तिथि :— 02.05.2017 सांय 5.00 बजे तक
- निविदा खोलने की तिथि :— 03.05.2017 दोपहर 2.00 बजे

क्र	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	निविदा शुल्क	अमानत राशि	टैण्डर प्रोसेसिंग फीस
1	ड्राईवर (जे.सी.बी., फायर ड्राईवर, फायरमैन, लाईट मोटर बीकल ड्राईवर) सप्लाई (पुनः निविदा)	11.00	500/-	22,000/-	1000/-
2	नगर पालिका नदबई में दैनिक सफाई कार्य, कचरा इकट्ठा करना, वाहन में भरना, नालों की सफाई व्यवस्था, दैनिक शिकायतों का निस्तारण करना एवं मृत पशुओं को उठाने का कार्य (पुनः निविदा)	25.00	500/-	50,000/-	1000/-

शर्तें :—

1. श्रमिक रजिस्टर्ड प्लेसमेन्ट एजेन्सी या रजिस्टर्ड सफाई समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लगवाये जावेंगे।
2. प्लेसमेन्ट एजेन्सी/सफाई समिति द्वारा श्रम विभाग द्वारा निर्धारित एवं समकक्ष विभागीय आदेशों से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कर्मचारी के सीधे बैंक खाते में RTGS/NEFT या चैक द्वारा भुगतान करना होगा। इस प्रक्रिया का सम्पूर्ण रिकॉर्ड मासिक भुगतान लेने से पूर्व नगर पालिका को प्रस्तुत करना होगा। रिकॉर्ड उपलब्ध करवाये बिना भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
3. श्रमिकों की सूची उनके आधार कार्ड/पहचान पत्र के साथ मय बैंक खाता नगर पालिका को उपलब्ध करानी होगी।
4. यह टैण्डर प्रक्रिया खुली बोली दोहरी स्टेज (Open Competitive Bidding Two Stage) के माध्यम से ऑन लाईन तरीके से की जानी है।
5. संवेदक फर्म/ऐजेन्सी द्वारा अमानत राशि एवं निविदा शुल्क का अलग-अलग डिमाण्ड ड्राफ्ट अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका नदबई के नाम से जमा कराना होगा। राशि 1000/- रुपये का डी.डी. MD, RISL जयपुर के नाम पृथक से जमा कराना होगा।
6. श्रमिक को प्रतिदिन 8 घण्टे कार्य प्रातः 6 बजे से 10 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सांय 6 बजे तक करना होगा।
7. जोन की समस्त दैनिक सफाई व्यवस्था यथा झाड़ू लगाना, कचरे को इकट्ठा करना, कचरे को वाहन में भरना, जोन के नालों की सफाई करना, निर्देशानुसार मृत पशुओं को उठाना आदि समस्त कार्य संवेदक की जिम्मेदारी होगी। जोन से संबंधित आमजन की शिकायतों का निस्तारण भी सफाई निरीक्षक के निर्देशानुसार संवेदक फर्म द्वारा किया जावेगा एवं शिकायतों का रिकॉर्ड संधारण पृथक रूप से एजेन्सी अपने स्तर पर भी करेगी।
8. प्राप्त शिकायतों का 24 घण्टे में निस्तारण न होने पर न्यूनतम 100/- रुपये प्रतिदिन से अधिकतम उस दिन का भुगतान तक की पेनलटी वसूलने के अधिकार नगर पालिका के पास सुरक्षित रहेंगे।
9. सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का संग्रहण नगर पालिका द्वारा निर्धारित स्थान/कन्टेनर पर ही किया जावेगा।
10. निविदा शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जब्त करते हुए ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
11. संवेदक फर्म को 500/- रुपये के स्टाम्प पर समस्त निविदा शर्तों के साथ अनुबंध इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

12. श्रमिकों को आवश्यक सभी सफाई उपकरण यथा झाड़ू, फायवडा, तगारी, ग्रेती, सब्बल इत्यादि संवेदक फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जावेंगे। नगर पालिका अपना वाहन व हाथ ट्रौली ही उपलब्ध करवायेगी।
13. संवेदक फर्म केवल वयस्क श्रमिक ही लगायेगी तथा श्रमिकों का निर्धारित ड्रेस कोड में प्रतिदिन आना अनिवार्य होगा। ड्रेस कोड न होने पर 50/- रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति तक का जुर्माना वसूला जावेगा।
14. राज्य सरकार/निदेशालय स्तर से एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन अथवा अन्य कोई व्यवस्था प्रारम्भ होने पर 15 दिवसों का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। जिस पर स्वीकृत फर्म/संवेदक/संस्था की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
15. कचरा प्रबंधन के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार के कानूनी निर्देशों/बोर्ड के आदेशों एवं नियमों की पालना करनी होगी।
16. सफाई श्रमिक को पी.एफ. का भुगतान सरकार के नियमानुसार देय होगा। गत माह का सर्विस टैक्स एवं ई.एस.आई., पी.एफ. राशि जमा कराने की रसीद बिल के साथ प्रस्तुत करने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
17. संवेदक फर्म/संस्था के सेवा दोष होने पर, सेवा देने में असफल होने पर, किसी भी प्रकार की जनहानि होने पर, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर या ऐसी स्थिति पैदा होने पर अमानत राशि जब्त करते हुए रिस्क एण्ड कॉर्सेस पर कार्य कराया जावेगा तथा एफ.आई.आर. अभियोजन की कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
18. कार्य के दौरान श्रमिक के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना, क्षति, जनहानि इत्यादि होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक फर्म/संस्था स्वयं की होगी।
19. संवेदक फर्म/संस्था को भुगतान के बिल से केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार कटौतियां की जावेगी। साथ ही केन्द्र/राज्य सरकार यदि कोई नया आदेश या नियम लागू करती है तो उसकी भी पालना सुनिश्चित की जावेगी।
20. सफाई शाखा प्रभारी अथवा जमादार के आदेशों की पालना करनी होगी। अवकाश के समय मजदूर बुलाने पर मजदूर सप्लाई करने होंगे। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 26 दिवस से अधिक का भुगतान देय नहीं होगा।
21. सफाई कार्य पूरे महिने कराना होगा तथा सफाई मजदूरों को साप्ताहिक अवकाश स्वयं के स्तर से देना होगा।
22. ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रमिक का श्रम विभाग में पंजीयन कराया जाना आवश्यक होगा तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति नगर पालिका को उपलब्ध करानी होगी।
23. समस्त विवादों की स्थिति में न्याय क्षेत्र नदबई होगा।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका नदबई

क्रमांक :—

दिनांक :—

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ :—

1. लेखाशाखा, नगर पालिका नदबई।
2. स्टोर शाखा, नगर पालिका नदबई।
3. चर्चा नोटिस बोर्ड, नगर पालिका नदबई।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पालिका नदबई